

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :  
सम्बद्धता विभाग,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर



ग्राम : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751-244228  
(कार्यालय)  
ई-मेल : E-mail :  
jiwajidcdc@gmail.com  
Website  
:http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/10764  
प्रति,

दिनांक : 04/04/2024

सचिव/प्राचार्य  
समस्त सम्बद्धित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय  
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, (म0प्र0)

विषय:- माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 09.01.2024 के कार्यवाही विवरण अनुसार जानकारी प्रदान करने के संबंध में।  
संदर्भ:- पत्र क्रमांक 345/1888545/2024/38-3 दिनांक 12.03.2024।

महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 09.01.2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 06 पर अंकित निर्देशानुसार कितने महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू है, की जानकारी संकलित की जाकर कृत कार्यवाही से उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है

अतः उक्त संबंध में संबंधित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/संचालकों को सूचित किया जाता है, कि आपके महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है अथवा नहीं की जानकारी तत्काल 02 दिवस विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग के ई-मेल आई डी [jiwajidcdc@gmail.com](mailto:jiwajidcdc@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी, आई. टी. सेल. की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
निदेशक,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 345/1888545/2024/38-3

भोपाल, दिनांक 12/03/2024

प्रति,

1. आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
1913

विषय-माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक  
दिनांक 09/01/2024 का कार्यवाही विवरण ।

---0---

उपरोक्त विषयक बैठक दिनांक 09/01/2024 के कार्यवाही विवरण की प्रति  
संलग्न प्रेषित है। कृपया बिंदु क्रमांक 9 के निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।  
2/ पाठ्यक्रम-निर्माण, शिक्षण-पद्धति, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम आदि के संदर्भ में  
दिए गये निर्देशों के पालनार्थ <sup>समस्त</sup> आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से इस विभाग  
को अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

*(Handwritten signature)*  
12/3/24  
(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
पंजी क्रमांक 1888545/38-3  
दिनांक 22-02-2024

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 290 /1854657/2024/38-2

भोपाल, दिनांक: 15/02/2024

कार्यवाही विवरण

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा

बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2024

-0-

माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 09 जनवरी, 2024 को वल्लभ भवन एनेक्सी-II स्थित कक्ष क्रमांक 211, में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा द्वारा माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। बैठक में विभागीय संरचना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके साथ ही प्रशासकीय विभाग एवं संचालनालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुतीकरण तथा चर्चा के अन्य विषयों पर माननीय मंत्रीजी द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया। इन पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश अत्यंत आवश्यक है, अतः प्रमुख विषयों के पाठ्यक्रमों में शामिल भारतीय ज्ञान परम्परा की जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा उसमें क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है, इसकी जानकारी से भी अवगत कराया जाए। (डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

अ.क.र.ब.

Set up  
20/2/24

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये जिन विभागों के साथ एम.ओ.यू. किये जाने थे, उस पर क्या कार्यवाही की गई। कुछ विभागों के साथ एम.ओ.यू. संपादित किये जा चुके हैं शेष की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एम.ओ.यू. किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए। (डॉ. सुनील कुमार सिंह)
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में समन्वय समिति की बैठक हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को विभाग की ओर से प्रेषित किये गये अध्यादेश क्रमांक 14 ए तथा 14 बी को एक करने का अध्यादेश 14 (1) तथा स्नातकोत्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार अध्यादेश की छायाप्रति माननीय मंत्री जी को प्रेषित की जाए। (श्री अनित राय)
4. प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा अकादमिक कैलेंडर का पालन करते हुये परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षा परिणाम की समीक्षा की जाये। इसके साथ ही विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश, निर्धारित कैलेंडर अनुसार निश्चित समयावधि में होने चाहिए। (डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
5. निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं को रोकने के लिए विभाग का नियंत्रण होना चाहिए। शासन स्तर से जारी निर्देशों का पालन निजी विश्वविद्यालयों में कड़ाई से होना चाहिए, जिससे शिक्षा का बाजारीकरण रोका जा सके। विभाग समय-समय पर निरीक्षण करें। (डॉ. अनिल पाठक)
6. कितने महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू है, यह जानकारी संकलित की जाए। (डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। (डॉ. दिवा मिश्र)
8. शुजालपुर में संचालित विधि संकाय के पृथक महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाए। (डॉ. दिवा मिश्र)
9. विश्वविद्यालयों को बेरोजगार खड़ा करने का केन्द्र न बनाए। रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया जाए। महाविद्यालयों में ऐसी परंपरा स्थापित की जाए जिससे विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो। (डॉ. अनिल पाठक)

कुछ पाठ  
व्यक्तिगत

वे. अ. अ.

परीक्षा  
नियंत्रण

संशोधन

~~विभाग~~

वे. डे. डे.


१५-३

placement cell

म.प्र. शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल

10. शिक्षक एवं कर्मचारी महाविद्यालय में प्रवेश करते समय महाविद्यालयों की भूमि को प्रणाम करें जिससे शिक्षकों एवं कर्मचारियों में संस्था के प्रति सम्मान, समर्पण की मानवता दृष्टिगोचर हों, जिसे विद्यार्थी भी देखेंगे और अनुसरण करेंगे। इस हेतु आदेश जारी किया जाए। (डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
11. सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की जाए। उनसे सुझाव प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। (डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

“अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई”

  
(वीर सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक: 15/02/2024

पृ.क्रमांक: २१ /1854657/2024/38-2

प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भावन, भोपाल।
4. समस्त संबंधित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय/संचालनालय भोपाल।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग